न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 692 / 2023

अनवान : –

1. छोटूराम पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम्

1. सरजीत पुत्र बीरू जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. राजपाल पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. सीमा पुत्री सरजीत जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. सुलोचना पुत्री सरजीत जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्री सरजीत जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 27/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढ़ाणीलालखां तहसील नोहर के खाता सं. 91 / 91 की कुल 3,7180 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1 / 4 हिस्सा भूमि आई, एवे रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं. 612 / 612 की कुल 3.1870 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1 / 12 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 212 / 184 की कुल तादादी 19. 109 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1 / 12 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 356 / 347 की कुल 11.1790 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1 / 3 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा ढ़ाणीलाल खां के खाता सं. 98 / 98 की कुल 3.7820 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 105 / 1891 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के बहैंब के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी प्रकार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:12:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढ़ाणीलालखां तहसील नोहर के खाता सं. 91/91 की कुल 3,7180 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि आई, एवे रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं. 612/612 की कुल 3.1870 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम [illegible] रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 212/184 [illegible] हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/12 हिस्सा भूमि आई एवं रोही [illegible] नोहर के खाता सं. 356/347 की कुल 11.1790 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1[illegible] हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा ढ़ाणीलाल खां के खाता सं. 98/98 की कुल 3.7820 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 105/1891 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:12:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढ़ाणीलालखां तहसील नोहर के खाता सं. 91/91 की कुल 3,7180 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि आई, एवे रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं. 612/612 की कुल 3. 1870 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/12 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 212/184 की कुल तादादी 19. 109 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/12 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 356/347 की कुल 11.1790 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा ढ़ाणीलाल खां के खाता सं. 98/98 की कुल 3.7820 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 105/1891 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित कियया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:12:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 692/2023

अनवान : –

1. छोटूराम पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. सरजीत पुत्र बीरू जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. राजपाल पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. सीमा पुत्री सरजीत जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. सुलोचना पुत्री सरजीत जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्री सरजीत जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 692 सन 2023 निर्णय दिनांक 27/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढ़ाणीलालखां तहसील नोहर के खाता सं. 91/91 की कुल 3,7180 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि आई, एवे रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं. 612/612 की कुल 3.1870 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/12 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 212/184 की कुल तादादी 19. 109 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/12 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 356/347 की कुल 11.1790 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि आई एवं रोही मौजा ढ़ाणीलाल खां के खाता सं. 98/98 की कुल 3.7820 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 105/1891 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:12:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर